संख्या:305/2022/1031/35-4-2022/001-35-4099/217/2021

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 02 सितम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र-बिल्हौर में शासनादेश संख्या-289/2021/ 2130/35-4-2021, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 28 कार्यों की रू0 308.15 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 294.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक: 665/ त्व0आ0वि0यो0 /वि0स0-बिल्हौर/2021-22, दिनांक 16 अगस्त, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 28 कार्यों में से 21 कार्यों की लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई 75 प्रतिशत धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त 21 कार्यों हेतु लागत रू. 231.90 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 163.88 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 68.02 लाख (रूपये अड़सठ लाख दो हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

क्र.	**कार्य**	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	ग्राम पंचायत संडीला वि0खं0 चौबेपुर के अन्तर्गत सामुदायिक योग एवं ध्यान साधना केन्द्र के मुख्य मार्ग सी सी मार्ग से गौशाला तक सी0सी0रोड का निर्माण	5.34	4.01	1.33
2	ग्राम पंचायत संडीला वि0खं0 चौबेपुर के अन्तर्गत सामुदायिक योग एवं ध्यान साधना केन्द्र के मुख्य मार्ग सी सी मार्ग से गार्डेन के लिए रास्ता नं-1, 27 मी0 रास्ता नं-2-27 और उक्त सीसी मार्ग से पूर्व की तरफ किचन के रास्ते 21 मी0 व ध्यान साधना कुटिया की तरफ 28 मी0 सम्पर्क मार्ग	10.46	7.85	2.61
3	ग्राम पंचायत संडीला वि0खं0 चौबेपुर के अन्तर्गत सामुदायिक योग एवं ध्यान साधना केन्द्र के(एंजेल वर्ड) के अन्दर मुख्य मार्ग से पश्चिम की तरफ सामुदायिक हॉल तक सीसी रोड का निर्माण	8.83	6.62	2.21
4	ग्राम पंचायत सरिगवां में लाल जी चौरसिया के दरवाजे से लेकर उमा शंकर मिश्रा के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	14.76	11.07	3.69
5	ग्राम पंचायत गोड़रा में नूर अहमद के दरवाजे से लेकर हीरालाल रावत के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण	19.39	11.25	8.14
6	ग्राम पंचायत मतौना में कैलाश पाल के दरवाजे से जयलाल पाल के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण	8.98	6.74	2.24
7	ग्राम पंचायत सुघर देवा में मलखान सिंह के दरवाजे से मेंन	17.65	11.25	6.40

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
	रोड तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य			
8	ग्राम पंयाचत जय किशुन निवादा में कालिका कोरी के दरवाजे से प्रेम कुमार कोरी के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण	10.51	7.88	2.63
9	ग्राम पंचात उत्तरी में कमलेश शुक्ला के घर के सामने से लेकर रामस्वरूप के घर सी0सी0रोड का निर्माण	11.97	8.98	2.99
10	ग्राम पंचायत साभी में रामशंकर ऊर्फ ढिलई के दरवाजे से लालमन के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण	15.07	11.25	3.82
11	ग्राम पंचायत चौबेपुर में प्रशांत चौरसिया के मकान से भूरे गुप्ता के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण	18.16	11.25	6.91
12	ग्राम पंचायत पचोर में रामबाबू सविता के मकान से सानू सैनी के मकान तक सी0सी0रोड का निर्माण	18.15	11.25	6.90
13	जी टी रोड मुडेरी क्रासिंग के बगल से काकूपुर रब्बन की तरफ डॉ0 नरेन्द्र प्रताप सिंह के आवास तक सी0सी0रोड का निर्माण	8.66	6.50	2.16
14	ग्राम पंयाचत काकूपुर में रघुवीर यादव के दरवाजे से सुनील पाल के मकान तक सी0सी0रोड का निर्माण	3.92	2.94	0.98
15	ग्राम पंयाचत कमालपुर में रामकुमार बाथम के घर से गोपाल पाण्डेय के मकान तक सी0सी0रोड का निर्माण	14.47	10.85	3.62
16	ग्राम पंचायत गौरन निवादा में रविपाल के घर से मेन रोड तक सी0सी0रोड का निर्माण	5.80	4.35	1.45
17	ग्राम पंयाचत सुजान निवादा में राजेन्द्र सिंह के दरवाजे से सुरेन्द्र सिंह के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण	3.94	2.96	0.98
18	ग्राम पंचायत सिहुरामऊ में किशनपाल के दरवाजे से राहुल पाल के दरवाजे तक सी0सी0रोड का निर्माण	5.99	4.49	1.5
19	ग्राम पंचायत बिल्हौर देहात में डाक बंगलिया से लेकर राधाकृष्ण गेस्ट हाउस तक सी0सी0रोड का निर्माण	13.64	10.23	3.41
20	ग्राम पंचायत गौरी में टिंकू निषाद के घर से हनुमान मंदिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण	6.83	5.12	1.71
21	बिल्हौर में जीटी रोड से बिजली घर तक सी0सी0रोड का निर्माण	9.38	7.04	2.34
	योग	**231.90**	**163.88**	**68.02**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 68,02,000 (रूपये अड़सठ लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:305/2022/1031(1)/35-4-2022/001-35-4099/217/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर नगर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।